न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 24/2021

उनवान

1. सपंतलाल,
2. शंकरलाल,
3. छोटी,
4. संतोक,
5. सायरी पि0 सूंडा जाति रावत नि0 देराठू, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बालू पुत्र धन्ना,
2. लाला पुत्र धन्ना,
3. हरि पुत्र धन्ना,
4. रमेशचन्द पुत्र घासीराम,
5. गंगा पुत्री घासीराम,
6. फूलचन्द,
7. श्याना,
8. शारदा,
9. सेठा,
10. सोहनी पि0 घासीराम,
11. प्रभु पुत्र मंगला जाति रावत नि0 देराठू, नसीराबाद,
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– 1. से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
12. जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 6.1.22

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल देराठू के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.26 की आराजी [illegible] की खातेदारी की है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 62 पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 18 [illegible]79 [illegible] से होकर हाल खसरा नम्बर 18 रकवा 0.088, 16 रकबा 0.09 व 17 [illegible] 0.19 जो अप्रा[illegible] की खातेदारी की हैमें से होते हुये अपने खेतों में पश्चिम से पूर्व दिश[illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता [illegible] नही है जिस कारण [illegible] अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर खसरा नम्बर 18/7779 [illegible] से होकर हाल खसरा नम्बर 18 रकबा 0.088, 16 रकबा 0.09 व 17 रकबा 0.19 मे से आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम देराठू के खसरा नम्बर 62 रकबा 0.26 की आराजी पर आवागमन हेतु 18 रकबा 0.088, 16 रकबा 0.09 व 17 रकबा 0.19 में से प्रार्थीगण को 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों ने कभी भी खसरा नम्बर 17, 18 में से कोई आवागमन नही किया है। आवेदनकर्ता खसरा नम्बर 20 व 22 में से अपने खेतों में प्रवेश कर सकते है जो कि लघुतम है। प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 60 व 61 किस्म मोरी में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण पूर्वजों के समय से उक्त मार्ग का उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र जवाबकर्ता को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि "प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु लघुतम मार्ग खसरा नम्बर 16, 17 व 18 में से होकर राजमार्ग तक पहुचेगा। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। चाहे गये मार्ग हेतु खसरा नम्बर 16 में से 207 वर्ग मीटर भूमि खातेदार प्रभु पुत्र मंगला की ली जानी है। खसरा नम्बर 17 में से 554 वर्ग मीटर भूमि गंगादेवी पुत्री घासीराम वगै0 की ली जानी है तथा खसरा नम्बर 18 में से 157.50 वर्ग मीटर भूमि बालू पुत्र धन्ना, रमेशचन्द पुत्र घासीराम, लाला पुत्र धन्ना, हरि पुत्र धन्ना की ली जानी है। प्रकरण में खसरा नम्बर 20 में से रास्ता नही लिया गया है क्योंकि उक्त खसरा नम्बर की आगे की मेड पर चाह है व एक कमरा बना हुआ है तथा खसरा नक्बर 19 के छोटे-छोटे प्लाट है।"

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार उक्त रिपोर्ट प्रार्थीगण से मिलीभगत करके बनायी गयी है। जिससे न्याय की उम्मीद नही है। अतः न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया जावे। आपत्ति स्वीकार कर उभयपक्ष की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। तथा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी तथा राजस्व नक्शे पर मौका स्थिति प्रदर्शित की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। खसरा नम्बर 16, 17, 18 में से ही रास्त दिलाया जाना उचित है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा ही खण्डन किया गया है किन्तु उनका खण्डन न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने दौराने बहस कथन किया कि खसरा नम्बर 18 राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 17 व 16 अप्रार्थी संख्या 5 से 11 के नाम दर्ज है। किन्तु खसरा नम्बर 18 पर रास्ते का निस्तारण होने के बाद ही खसरा नम्बर 17 व 16 पर रास्ते की आवश्यकता होगी। खसरा नम्बर 18 पर प्रार्थीगण का कोई रास्ता विधमान नही है। खसरा नम्बर 22 प्रार्थीगण की खातेदारी का ही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 19, 20 ... जाता है तो वह रास्ता लघुतम होगा। प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है। न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण करते समय उभयपक्ष उपस्थित ... न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों के कथन व मौके की वास्तविक स्थिति के आधार ही तैयार ... है जिस पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट बाबत कोई आपत्ति वर्तमान में शेष नही है। प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तामीली की आवश्यकता नही है। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की आत्यतिक आवश्यकता के बारे में निर्धारण करना है जो कि सिद्ध नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:16 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। प्रस्तुत जमाबंदी से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 62 व 22 प्रार्थीगण की खातेदारी का है। खसरा नम्बर 18 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की, खसरा नमबर 17 अप्रार्थी संख्या 5 से 10 की तथा खसरा नम्बर 16 अप्रार्थी संख्या 11 की खातेदारी का है। प्राथीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 62 पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 16, 17, 18 में से रास्ता चाहा है। उभयपक्ष की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा प्रकरण में मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 18 में से कोई रास्ता आवागमन हेतु मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थीगण वर्तमान में खसरा नम्बर 60, 61, 64 में से होकर आवागमन करते है उक्त खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0 मोरी है। खसरा नम्बर 62 के समीप ही प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 22 स्थित है। जो कि खसरा नम्बर 20 व 21 से लगता हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 22 उनकी खातेदारी होने का कथन अंकित नही किया है। जबकि खसरा नम्बर 22 उनकी खातेदारी होने से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 20, 21 व 19 में से रास्ता लघुतम बनता है प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 20, 21, 19 में से रास्ते लिये आवेदन करना चाहिये था। खसरा नम्बर 18 में से होकर रास्ता दीर्घतम है। उक्त भूमि से होकर कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है तथा दीर्घतम रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 22 के पास अन्य खसरा नम्बरों में से लघुत्तम रास्ते हेतु पृथक से नवीन आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र है। खसरा नम्बर 18 में से चालू रास्ता मौके पर मौजूद नही है। ना ही खसरा नम्बर 18 से होकर लघुत्तम रास्ता दिया जा सकता है ऐसे मे खसरा नम्बर 16 व 17 के खातेदारों की तामीली प्रकरण में आवश्यक नही है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व नही होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु लघुत्तम रास्ता उपलब्ध कराने की है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण लघुतम रास्ते के बजाय दीर्घतम रास्त चाहते है जो न्यायोचित नही है तथा न्याय की मंशा के विपरित होने से धारा 251 के प्रावधान के प्रतिकूल है। अतः प्रार्थी खसरा नम्बर 16, 17 व 18 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:28:16 IST
Reason: SelfAttested